राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3525 / 2024

हेमेन्द्र कुमार मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर। —प्रत्यर्थीगण
3. जिला कलक्टर, जिला गंगापुर सिटी।

प्रस्तुतीकरण दिनांकः 04.12.2024
आदेश दिनांक :– 04.12.2024

समक्ष :– **शुचि शर्मा, सदस्य**
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह तंवर उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी वर्तमान में कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर तहसील सिकराय जिला दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 26.12.2019 को नायब तहसीलदार के पद पर कार्यग्रहण किया है तथा अपीलार्थी को परिवीक्षाकाल के उपरान्त दिनांक 25.11.2021 से नियमित किया जा चुका है। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध पात्रता सूची जारी की गई है। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 199 में पर अंकित था, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 23–24 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी की पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया तथा प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 04.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं करने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने जानकारी प्राप्त करने पर अपीलार्थी को मौखिक रूप से बताया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 1958 के अंतर्गत दिनांक 08.08.2023 को नियम 17 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया था। इसलिए अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का आगे यह कथन है कि अपीलार्थी

को सर्वप्रथम दिनांक 08.08.2023 आरोप पत्र जारी किया गया था, वह वर्ष 23–24 की रिक्तियों के विरूद्ध जारी नहीं करने के कारण किसी प्रकार से बाधक नहीं था। दूसरी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की जॉच विचाराधीन होने के आधार पर लिफाफा भी बंद नहीं किया गया तथा विभाग ने दिनांक 21.07.2024 को अपीलार्थी को दिनांक 08.08.2024 को जो आरोप पत्र जारी किया गया था उस जॉच में अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई जॉच विचाराधीन नहीं है तथा राज्य सरकार ने भी वर्ष 23–24 में दो वर्ष में भी अनुभव में छूट प्रदान की गई है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को उक्त समस्त तथ्यों से दिनांक 27.11.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि अपीलार्थी को वर्ष 23–24 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ से पूर्व तहसीलदार के पद पर पदोन्नति किया जावे। वर्तमान में प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी आयोजित करने जा रहे है तथा अपीलार्थी की पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है तथा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

4. हमने अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेखों का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिवचनों एवं अभिलेख प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर दिनांक 26.12.2019 को की गई थी तथा अपीलार्थी का परिवीक्षा काल दिनांक 25.12.2021 को पूर्ण हो चुका है तथा अपीलार्थी को नियमित किया जा चुका है। दिनांक 04.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी से पात्रता सूची में अपीलार्थी से कनिष्ठ नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर वर्ष 2023–24 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है तथा अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति में कोई विचार नहीं किया गया है। सीसीए नियम 17 के अंतर्गत जांच को भी दिनांक 31.07.2024 को समाप्त किया जा चुका है। उक्त जांच में अपीलार्थी को दिनांक 08.08.2023 को आरोप पत्र जारी किया गया था, वह भी नियमानुसार वर्ष 2023–24 की पदोन्नति में बाधक नहीं है। विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 की रिव्यू डीपीसी की जा रही है, उसमें नियमानुसार अपीलार्थी से कनिष्ठ से पूर्व तहसीलदार की पदोन्नति हेतु अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार किया जाना चाहिये। परंतु

विभाग द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी की वरिष्ठता/पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित समस्त आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमों एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में रिव्यू डीपीसी वर्ष 2023–2024 आयोजित करने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का उक्त नियमों के अनुसार निस्तारण कर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अपीलार्थी को सम्यक सूचना दें। उक्त अभ्यावेदन निस्तारण होने तक रिव्यू डीपीसी आयोजित नहीं की जावे और अपीलार्थी रिव्यू डीपीसी में पदोन्नति हेतु योग्य पाये जाने पर उसके नाम पर विचार किया जावे।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अंतिम रूप से ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य